प्रेस नोट दिनांक 11–01–2021

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा ग्राम कुण्डाकला में ईश्वर उर्फ बिट्टू की हत्या करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार, अभियुक्त की निशानदेही पर मृतक का शव, आलाकत्ल व साईकिल बरामदः–

अवगत कराना हैं कि दिनांक 10–01–2021 को श्री सतीश कुमार पुत्र मंगतराम निवासी ग्राम कुण्डाकला थाना गंगोह, सहारनपुर द्वारा थाना गंगोह पर लिखित तहरीरी सूचना दी गई कि उसका चचेरा भाई ईश्वर उर्फ बिट्टू पुत्र कश्मीरा निवासी उपरोक्त दिनांक 07–01–2021 को गुम हो गया था, जिसकी दिनांक 09–01–2021 को थाना गंगोह पर गुमशुदगी दर्ज करायी थी। आज दिनांक 10–01–2021 को उसे जानकारी मिली कि उसके चचेरे भाई ईश्वर उर्फ बिट्टू की सुनील पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम ढलावली थाना गंगोह, सहारनपुर ने हत्या कर शव को अपने घर पर कही छिपा दिया हैं। सुनील ने उसके चचेरे भाई को अपने घर पर बुलाया था, जिसे आस पास के लोगो ने देखा था। जिसके सम्बन्ध में प्राप्त लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 17/2021 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुये अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु थाना गंगोह पुलिस को निर्देशित किया गया।

जिसके कम में आज दिनांक 10–01–2021 को पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा उक्त घटना को कारित करने वाले अभियुक्त सुनील पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम ढलावली थाना गंगोह, सहारनपुर को ग्राम नया कुण्डा तिराहा से समय 14:10 बजे गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई हैं तथा अभियुक्त के मकान से ही मृतक ईश्वर उर्फ बिट्टू के शव को आलाकत्ल सहित बरामद किया गया। इसके साथ–साथ गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर मृतक की साईकिल को ग्राम ढलावली में स्थित तालाब के पास से बरामद किया गया हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्व थाना गंगोह पर अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुये जेल भेजा गया हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

1–सुनील पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम ढलावली थाना गंगोह, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः–

1–मृतक की साईकिल।

2–एक अद्द आलाकत्ल।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः–

1–श्री यज्ञदत्त शर्मा, प्रभारी निरीक्षक थाना गंगोह, सहारनपुर।

2–व0उ0नि0 श्री राधेश्याम, थाना गंगोह, सहारनपुर।

3–उ0नि0 श्री नन्दकिशोर शर्मा, थाना गंगोह, सहारनपुर।

4–है0का0 निपेन्द्र सिंह, थाना गंगोह, सहारनपुर।

5–का0 अजय राठी, थाना गंगोह, सहारनपुर।

6–का0 राजीव कुमार, थाना गंगोह, सहारनपुर।

7–का0 सन्नी कुमार, थाना गंगोह, सहारनपुर।

-प्रेस विज्ञप्तिः-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः –

अवगत कराना है, कि दिनांक 29.11.2017 को वादी राशिद पुत्र खलील नि0 खेडा मस्तान थाना फुगाना जनपद शामली की पुत्री के साथ अभियुक्तगण 1– आस मौहम्मद पुत्र वसीम नि0 दानिश कालोनी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर 2–वसीम पुत्र वसरूद्दीन एवं 3– सायरा बानो पत्नी वसीम निवासीगण दानिश कालोनी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर द्वारा दहेज की मांग पूरी न होने पर जान से मार देने की सूचना पर मु0अ0स0 476/2017 धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम में थाना को0देहात पर पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 178/2018 पर माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद स0पुर में विचाराधीन था।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थाने स्तर से की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के कारण माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद स0पुर द्वारा आज दिनांक 11.01.2021 को अभियुक्त आस मौहम्मद पुत्र वसीम को मु0अ0स0 476/2017 धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अभियुक्तगण वसीम पुत्र वसरूद्दीन एवं सायरा बानो पत्नी वसीम निवासीगण दानिश कालोनी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर को दोषमुक्त किया गया।